



राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
पंचायती राज मंत्री



प्रो. एस. पी. सिंह बघेल
पंचायती राज राज्य मंत्री

संदेश

'हिंदी दिवस 2026' के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ।

14 सितंबर, 1949 को देश की संविधान सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। इस महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' मनाते हैं।

आज का भारत डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-गवर्नेंस और नई संचार प्रणालियों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हिंदी भी तकनीकी प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। हमारे विशाल, बहुभाषी राष्ट्र के नागरिकों को जोड़ने में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया, विज्ञापन, चलचित्र और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से हिंदी आज निरंतर व्यापक हो रही है तथा देश-विदेश में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है।

पंचायती राज व्यवस्था में हिंदी का महत्व विशेष है, क्योंकि ग्राम पंचायतें ग्रामीण जनता से सीधे जुड़ी स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। पंचायतों की सूचनाएँ, योजनाएँ, कार्यवाही एवं अन्य जानकारीयाँ हिंदी में उपलब्ध होने से शासन और जनता के बीच संवाद अधिक सहज एवं प्रभावी बनता है तथा जनभागीदारी, पारदर्शिता और स्थानीय लोकतंत्र सुदृढ़ होते हैं। आज पंचायतों की सेवाएँ तेजी से डिजिटल हो रही हैं। पंचायत पोर्टल, ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सूचना एवं ई-गवर्नेंस सेवाओं में हिंदी का प्रयोग डिजिटल शासन को ग्रामीण जनता के लिए अधिक सुलभ और समावेशी बना रहा है।

इसी क्रम में, राजभाषा विभाग द्वारा विकसित 'भारती-अनुवाद सारथी' एवं 'शब्द-सिंधु' जैसे उपयोगी साधनों का लाभ उठाकर हिंदी में कार्यालयीन कार्य को अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी पंचायती राज मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि हिंदी का प्रयोग केवल हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े तक सीमित न रहकर हमारे दैनिक कार्यालयीन कार्यों और नागरिकों के साथ संवाद का स्वाभाविक हिस्सा बनेगा।

हार्दिक शुभकामनाएँ।

(राजीव रंजन सिंह)

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)